कार्यालय जिलाधिकारी बरेली ।

पत्रांक 747/मु0रा0ले0–दै0आ0सहा0/वित्तीय स्वीकृति/2011–12 दिनांक 30.5.11

प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या 1021/1–10–2011–12(34)/2011 दिनांक 11.04.2011 के अन्तर्गत रू0 300.00 लाख तथा शासनादेश संख्या 1550/1–10–2011–12(34)/2011 दिनांक 18.05.11 के अन्तर्गत रू0 330.00 लाख वर्ष 2010–11 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत तात्कालिक मरम्मत कराये जाने हेतु धन आवंटन प्राप्त हुआ है।

जनपद में वर्ष 2010 में आई अप्रत्याशित बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कराये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आंगणन/प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, जिनकी शासनादेश सॅख्या 3253/1–10–2010–12(73)/2008 दिनांक 22.09.2010 के परिप्रेक्ष्य में रू0 20.00 लाख से अधिक के प्रस्तावों की मण्डल आपदा राहत समिति, बरेली द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति कमशः दिनांक 21.10.2010 एवं दिनांक 16.11.2010 के अन्तर्गत प्रदान की जा चुकी है परन्तु वर्ष 2010–11 में शासन से बजट प्राप्त न होने के कारण निम्नलिखित कार्य नही कराये जा सके।

अतः शासनादेश दि0 11.04.11 तथा 18.05.2011 एवं दिनांक 22.09.10 में दिये गये निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यो की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है। प्रथम किश्त के तौर पर 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इसका उपयोग कर उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हुए द्वितीय किश्त की मांग प्रस्तुत की जाये।

1. बाढ़ एवं अतिवृष्टि से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु उपलब्ध कराई जा रही धनराशि शासनादेश सॅख्या 3253/1–10–2010–12(73)/2008 दिनांक 22.09.2010 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जाये। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी विभागीय कार्यो हेतु कदापि नही किया जायेगा।
2. सम्बन्धित विभाग के सक्षम स्तरीय अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी तदोपरान्त विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्यदायी विभाग कार्य कराये जाने से पूर्व यह प्रमाण पत्र देगा कि इस कार्य हेतु अन्य किसी स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है एवं कराये जा रहे कार्यो को खण्डों में विभाजित नही किया गया है।
3. कार्यदायी विभाग द्वारा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं रेस्टोरेशन की परियोजनाओं को 30 दिन अर्थात 30 जून, 2011 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जायेगा तथा शासन को नियमानुसार उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
4. क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थिति वाले मरम्मत/पुनर्स्थापना/अनुरक्षण कार्य को कराने से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन के उपरान्त फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एम0बी0, व्यय सम्बन्धी वाउचर प्रस्तुत करने होंगे। फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की प्रति अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से मण्डल आयुक्त एवं राहत आयुक्त, लखनऊ को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. यह धनराशि केवल वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन इस धनराशि से नही किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 प्रस्तर–369 एव के अधीन निर्धारित प्रारूप सॅख्या–42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. प्रश्नगत कार्यो की मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान सॅख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा राहत निधिसे व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
8. प्रश्नगत कार्यो को राहत वेबसाइट http/rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9. प्रश्नगत कार्यो की एक निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाये, जिसके अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाये तथा इसे जनपद की वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाये।

क0सं0	विभाग का नाम	तहसील/स्थान का नाम	किये जाने वाले कार्यो का विवरण	कार्य के आगणन की धनराशि(लाख में)	आवंटित की जाने वाली धनराशि
	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बरेली।	बहेड़ी	बरेली बागेश्वर रोड कि0मी0 11 से 41, 46, 47, 48 तक	71.98	35.99
2.	तदैव	बहेड़ी	बहेड़ी बंजरिया मार्ग के कि0मी0 4 में स्थित किच्छा नदी सेतु का पहुंच मार्ग	89.01	44.505
3.	तदैव	बरेली	बरेली बदायूँ कैण्ट ब्रान्च सम्पर्क मार्ग	45.90	22.95
4.	तदैव	मीरगंज	एन0एच0 24 से गूला सम्पर्क मार्ग	71.12	35.56
5.	तदैव	मीरगंज	शाही मिर्जापुर स्थित वैगुल नदी पहुंच मार्ग	60.07	30.035
6.	तदैव	मीरगंज	बल्लिया शीशगढ़ मार्ग कि0मी0 8 व 9	37.07	18.535
7.	तदैव	मीरगंज	आनन्दपुर से मंडवादंशीपुर सम्पर्क मार्ग	37.02	18.51
8.	तदैव	मीरगंज	मीरगंज सिंधौली मार्ग के कि0मी0 4 पीलाखार नदी सेतु का पहुँच मार्ग	62.52	31.26
9.	तदैव	आवंला	अलीगंज सिरौली से बिहारीपुर बीवनी मार्ग	30.30	15.15
10.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बरेली।	ऊधमसिंह नगर(उत्तराखण्ड)	अतिवृष्टि के फलस्वरूप बैंगुल बांध पर हुये क्षतिग्रस्त कार्यो की पुनर्स्थापना ।	93.50	46.75
	योग			598.49	299.245

उपरोक्त कार्यो के कराये जाने हेतु शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष विभागवार वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यो को निर्धारित शर्तो के अनुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कार्यो को दिनांक 30.06.2011 तक पूर्ण कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 944/मु0रा0ले0-दै0आ0सहा0/वित्तीय स्वीकृति/2011-12 दिनॉक 28.05.11 के द्वारा उक्त दोनों कार्यदायी विभागों को आदेश जारी किये जा चुके हैं।

20/5/2011

अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0)
बरेली।

प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया बरेली जनपद के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में निशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

20/5/2011

अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0)
बरेली।

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक 07 ५(1-7) /मु0रा0ले0–दै0आ0(2010–11) दिनांकः 0 1-0 6-11

विषय :– वर्ष 2010 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राप्त आवंटन से कराये जा रहे तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो का औचक निरीक्षण कर सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बरेली– अध्यक्ष।
2. अपर जिलाधिकारी(प्र0) बरेली–सदस्य।
3. अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0) बरेली–सदस्य/संयोजक।
4. अधि0अभि0 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बरेली–सदस्य।
5. अधि0अभि0 आर0ई0एस0 बरेली–सदस्य।
6. अधि0अभि0 सिंचाई खण्ड, बरेली–सदस्य।

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है, कि शासनादेश सॅख्या 1021/1–10–2011–12 (34)/2011 दिनांक 11.04.2011 तथा शासनादेश सॅख्या 1550/1 – 10 – 2011 – 12 (34)/2011 दिनांक 18.05.2011के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राप्त बजट आवंटन रू0 630.00 लाख में से निम्नलिखित कार्यदायी संस्थाओं को निम्न प्रकार धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें से कालम नं0 5 में अंकित धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को चेक के माध्यम से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कराये जाने हेतु दिनांक 30.05.2011 को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(धनराशि लाख में)

कम सॅख्या	अधिकारी का पदनाम	परियोजना का नाम	तहसील/ स्थान का नाम	कार्य के आगणन की धनराशि	50 प्रति0 भुगतान की गई धनराशि
01	अधि0 अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बरेली।	बरेली बागेश्वर रोड कि0मी0 11 से 41, 46, 47, 48 तक	बहेड़ी	71.98	35.99
02	तदैव	बहेड़ी बजरिया मार्ग के कि0मी0 4 में स्थित किच्छा नदी सेतु का पहुंच मार्ग	बहेडी	89.01	44.505
03	तदैव	बरेली बदायूँ कैण्ट ब्रान्च सम्पर्क मार्ग	बरेली	45.90	22.95
04	तदैव	एन0एच0 24 से गूला सम्पर्क मार्ग	मीरगंज	71.12	35.56
05	तदैव	शाही मिर्जापुर स्थित बैगुल नदी पहुंच मार्ग	मीरगंज	60.07	30.035
06	तदैव	बल्लिया शीशगढ मार्ग कि0मी0 8 व 9	मीरगंज	37.07	18.535
07	तदैव	आनन्दपुर से मंडवावंशीपुर सम्पर्क मार्ग	मीरगंज	37.02	18.51
08	तदैव	मीरगंज सिंधौली मार्ग के कि0मी0 4 पीलाखार नदी सेतु का पहुंच मार्ग	मीरगंज	62.52	31.26
09	तदैव	अलीगंज सिरौली से बिहारीपुर बीवनी मार्ग	आवंला	30.30	15.15
10	अधि0 अभियन्ता सिंचाई खण्ड, बरेली	अतिवृष्टि के फलस्वरूप बैगुल बांध पर हुए क्षतिग्रस्त कार्यो की पुनर्स्थापना	ऊधमसिंह नगर,(उत्तरा खण्ड)	93.50	46.75
	योग			598.49	299.245

शासनादेश सॅख्या 3253/1–10–2010–12(73)/2008 दिनांक 22.09.2010 (प्रति पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है) में दिये गये निर्देशों के अनुसार उपरोक्त कार्यो के औचक निरीक्षण हेतु टास्क फोर्स गठित कर आपको अध्यक्ष तथा सदस्य नामित करते हुए कार्यदायी सॅस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यो की औचक निरीक्षण कर पाक्षिक आख्या उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यो का औचक/स्थलीय निरीक्षण कर कार्यदायी संस्थाओं से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की प्रतियॉं प्राप्त कर पाक्षिक अपनी आख्या सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उपरोक्त कार्यो के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से मण्डलायुक्त व राहत आयुक्त महोदय को भी अवगत कराया जा सके।

(सुभाष चन्द शर्मा)
जिलाधिकारी,
बरेली।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, बरेली मण्डल बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बरेली।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बरेली।

सेवा में,

अपर आयुक्त(प्र0),
बरेली मण्डल,
बरेली।

पत्र संख्या। ?8 (ऽ2) /मु0रा0ले0–दै0आ0(2011–12) दिनांक : 31–05–11

विषय : वर्ष 2010 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुर्ननिर्माण/पुनर्स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में धनावंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 170–71/रेस्टोरेशन/2010–11 दिनांक 23.10.2010 तथा पत्रांक 836–38/रेस्टोरेशन/2010–11 दिनांक 16.11.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मण्डल आपदा राहत समिति बरेली द्वारा निम्नलिखित 10 परियोजनाओं के प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

शासनादेश संख्या 1021/1–10–2011–12(34)/2011 दिनांक 11.04.2011 तथा शासनादेश संख्या 1550/1–10–2011–12(34)/2011 दिनांक 18.05..2011के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राप्त बजट रू0 630.00 लाख में से निम्नलिखित कार्यदायी संस्थाओं को निम्न प्रकार आंगणन/प्रस्ताव में निहित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.05.2011 के अन्तर्गत प्रदान कर निम्न तालिका के कालम नं0 06 में अंकित 50 प्रतिशत धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को चेक के माध्यम से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कराये जाने हेतु अवमुक्त की जा चुकी है।

(धनराशि लाख में)

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	परियोजना का नाम	तहसील/स्थान का नाम	कार्य के आगणन की धनराशि	50 प्रति0 मुगतान की गई धनराशि
01	02	03	04	05	06
01	अधि0 अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बरेली।	बरेली बागेश्वर रोड कि0मी0 11 से 41, 46, 47, 48 तक	बहेड़ी	71.98	35.99
02	तदैव	बहेड़ी बजरिया मार्ग के कि0मी0 4 में स्थित किच्छा नदी सेतु का पहुंच मार्ग	बहेडी	89.01	44.505
03	तदैव	बरेली बदायूँ कैण्ट ब्रान्च सम्पर्क मार्ग	बरेली	45.90	22.95
04	तदैव	एन0एच0 24 से गूला सम्पर्क मार्ग	मीरगंज	71.12	35.56
05	तदैव	शाही मिर्जापुर स्थित बैगुल नदी पहुंच मार्ग	मीरगंज	60.07	30.035
06	तदैव	बल्लिया शीशगढ मार्ग कि0मी0 8 व 9	मीरगंज	37.07	18.535
07	तदैव	आनन्दपुर से मंडवावंशीपुर सम्पर्क मार्ग	मीरगंज	37.02	18.51
08	तदैव	मीरगंज सिंधौली मार्ग के कि0मी0 4 पीलाखार नदी सेतु का पहुंच मार्ग	मीरगंज	62.52	31.26
09	तदैव	अलीगंज सिरौली से बिहारीपुर बीवनी मार्ग	आवंला	30.30	15.15
10	अधि0 अभियन्ता सिंचाई खण्ड, बरेली	अतिवृष्टि के फलस्वरूप बैगुल बांध पर हुए क्षतिग्रस्त कार्यो की पुनर्स्थापना	ऊधमसिंह नगर,(उत्तरा खण्ड)	93.50	46.75
	योग-			598.49	299.245

शासनादेश संख्या 3253/1–10–2010–12(73)/2007 दिनांक 22.09.2010 में बाढ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप पुर्नस्थापना/मरम्मत कार्य कराया जाना है।

उक्त शासनादेश दिनांक 22.09.2010 के प्रस्तर–09 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये हैं कि आपदा राहत निधि की धनराशि में से वर्ष 2010 में आई बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाईड लाईन्स की मद संख्या–18 के अधीन क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यों पर धनराशि की आवश्यकता का निर्धारण करते हुये विभागीय मानकों एवं लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी। कार्य की सतत् निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तकनीकी अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्कफोर्स भी गठित करेंगे, जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाये। मण्डलायुक्त द्वारा मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्कफोर्स के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाईड लाईन्स तथा मानक के अनुरूप हो।

अतः अनुरोध है कि समिति गठित कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
जिलाधिकारी,
बरेली।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव,राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बरेली।